न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड
पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 37/2020 (75 एलआरए)
कंवरलाल बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00037)

कंवरलाल पिता रामनाथ मीना निवासी मान्याखेड़ी तहसील अकलेरा
..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान
..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा
दिनांक 26.12.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1876/2019

उपस्थित :
1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कुलेन्द्र नागर
2 रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन

निर्णय

दिनांक 22.10.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1876/2019 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1876/2019 पटवारी हल्का बिन्दायक की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए बयान पटवारी लिये गये बयान पटवारी के अनुसार अतिक्रमी श्री कंवरलाल पिता रामनाथ मीना

22/10/2020

अति० कलक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

निवासी मान्याखेड़ी ने ग्राम बिन्दायका की आराजी ख0न0 1319 किस्म चारागाह की 1 बीघा 10 बिस्वा पर सम्वंत 2076 में नाजायज कब्जा कर फसल सोयाबीन काश्त की है, अतिक्रमी का इससे पूर्व सम्वंत 2075 में भी नाजायज कब्जा था जिस पर से अतिक्रमी को बेदखल किया गया था अतिक्रमी द्वारा पुनः नाजायज कब्जा करने से पश्चातवर्ती अतिकमण मानते हुए अतिकमित भूमि से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान 1.20 रूपये का 50 गुना अर्थात 60/– रूपये के आर्थिक दण्ड एवं पश्चातवर्ती अतिकमण करने के अपराध में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 माह (60 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी अकलेरा को भिजवाए गए। अपीलांट ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता कुलेन्द्र नागर ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस की प्रोपर तामील नही करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो कानून के विपरित है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी भूमि से अपना कब्जा काफी समय पूर्व ही हटा लिया गया है, आराजी भूमि खाली पड़ी हुई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कोई काश्त नही की है–फिर भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में सम्पूर्ण जुर्माना राशि जमा करा दी है। अब भविष्य में उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही किया जायेगा। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को उक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 17.02.2020 को उस समय हुआ जब उसकी गैर मौजुदगी में पुलिस थाना अकलेरा का सिपाही गिरफ्तारी वारन्ट की तामील हेतु आया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से. तुरन्त दिनांक 24.02.2020 को निर्णय की नकल प्राप्त की आदेश के सर्वप्रथम ज्ञान से अपील अवधि मध्य मानी जावे जिसका प्रा0पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 अपास्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

5 रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन द्वारा अपनी बहस में अनुरोध किया गया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019

अति० कलक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

विधि अनुरूप है। अपीलान्ट उक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्व होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी के बयान से होता है, इसलिये माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6 अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस की प्रोपर तामील नही कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिखा गया है उसमें अंकित किया गया है कि अतिक्रमी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील मानकर संलग्न पत्रावली किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिए अपीलान्ट के अधिवक्ता यह तर्क मानने योग्य नही है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दूसरा तर्क यह दिया है कि अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2075 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण कर फसल बोई थी, जिस पर से उसे बेदखल कर फसल नीलामी की कार्यवाही की गई थी, अपीलान्ट द्वारा पुनः सम्वंत 2076 में अतिक्रमण कर फसल सोयाबीन काश्त की गई है इसलिये वकील अपीलान्ट का दूसरा तर्क भी मानने योग्य नही है।

8 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जो तर्क दिया है कि नोटिस की प्रोपर तामील नही कराई गई–इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने जो तामील मानी है, उसको तामील नही मानने के संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नही किये गये है। तामील को मुख्य आधार माना जाना तर्क संगत नही है, यह मात्र तकनीकी/प्रक्रियात्मक त्रुटि मानी जा सकती है। अपीलान्ट उक्त आराजी पर कब्जा नही होना भी बता रहा है एवं दूसरी ओर जुर्माना राशि भी जमा करा रहा है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

अति० कलेक्टर एवम अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज०)

पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का के शपथपूर्वक तहसीलदार के समक्ष दिनांक 26.12.2019 को दिये गये बयान से होता है जो बाद प्रमाणित पत्रावली के संलग्न किये गये है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2075 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में जो आक्षेप उठाये गये है, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नही है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9 अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है ।

22/10/2020

(दांताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/10/2020

(दांताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़